

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] No.185] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015/MAGHA 8, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

का.आ. 254(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

तालिका

"7.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, [किमी 29.100 से किमी 4.740 (हजीरा से सूरत) और किमी 7.325	गुजरात
	से किमी 103.149 (सूरत से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 8ए	राज्य "
	[िकमी 0.000 से किमी 71.400 (कांडला – मुंद्रा पत्तन) और किमी 183.500 से किमी	सरकार" ।

502 GI/2015 (1)

362.160 (गांधीधाम से समिखयाली से बामनबोर खंड) तक को छोड़कर], रारा सं. 8सी, सं. 8डी [(िकमी 0.000 से किमी 127.000 (जेतुपर-सोमनाथ) तक खंड को छोड़कर], सं. 8ई, सं. 59 [(िकमी 4.200 से किमी 122.420 (अहमदाबाद-गोधरा) और किमी 129.300 से किमी 215.900 (गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा) तक को छोड़कर], सं. 113, सं. 228, नई रारा सं. 51 (िलंबदी – सुरेंद्रनगर – ध्रंगधरा – कुडा खंड (पूर्ववर्ती नई रारा सं. 147ए), नई रारा सं. 56, नई रारा सं. 58, नई रारा सं. 68 (समिखयाली से राधनपुर खंड को छोड़कर), नई रारा सं. 251, नई रारा सं. 341, नई रारा सं. 351, नई रारा सं. 753बी, नई रारा सं. 848, नई रारा सं. 848ए, नई रारा सं. 848बी, नई रारा सं. 927 डी और नई रारा सं. 953 के उतने भाग जो गुजरात राज्य में अवस्थित हैं।

[फा.सं. एनएच-14013/5/2013-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार सं. का.आ. 2596 (अ), 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

S.O. 254(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

[भाग II-खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

TABLE

" 7	So much of National Highways No. 6 [excluding from km. 29.100 to km.	State
	4.740 (Hazira to Surat) and km. 7.325 to km. 103.149 (Surat to	Government
	Maharastra/Gujarat Border)], No.8A [excluding from km.0.000 to km.71.400	of Gujarat".
	(Kandla-Mundra Port) and from Km.183.500 to Km.362.160 (section from	
	Gandhidham to Samakhyali to Bamanbore)], No.8C, No.8D [excluding from	
	km.0.000 to km.127.000 (Jetpur-Somnath)], No.8E, No.59 [excluding from km.	
	4.200 to 122.420 (Ahmedabad-Godhra) and from km.129.300 to km.215.900	
	(Godhara-Gujarat/ Madhya Pradesh Border)], No.113, No. 228, New NH No.	
	51 [Limbdi-Surendranagar-Dhrangadhra-Kuda section(erstwhile new Nh	
	No. 147A)], new NH No. 56, new NH No. 58, new NH No. 68 (excluding	
	Samakhyali to Radhanpur section), new NH No. 251, new NH No. 341, new	
	NH No. 351, new NH No. 753B, new NH No.848, new NH No. 848A, new NH	
	No. 848B, new NH No. 927D and new NH No. 953 as are situated within the	
	State of Gujarat.	

[F. No. NH-14013/5/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note:—The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2596 (E), dated the 8^{th} October, 2014.